रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2011/आषाढ़ 31, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 97
No. 121] DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2011/ASADHA 31, 1933 [N.C.T.D. No. 97

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

(कार्यालय : उपायुक्त पुलिस यातायात : मुख्यालय दिल्ली)

आदेश

दिल्ली, 22 जुलाई, 2011

सं. फा. 20/4/2003/गृह पु.-II/4069.—क्योंकि आम जनता की सुविधा के लिये टैक्सियों को खड़ा करने व ले जाने के लिए सामान्य टैक्सी स्टैंड/फ्री टैक्सी पार्किंग जो कि प्रशांत विहार, सामुदायिक केन्द्र, हैदरपुर रेजीडेंशियल स्कीम, जोन नं. एच. 7 दिल्ली पर अस्थायी तौर पर अधिसूचित किया गया था को आदेश संख्या 30-130/प्रशासनिक शाखा/यातायात (डी. तृतीय) दिनांक 4-1-2011 को आम जनता के हित में निरस्त किया गया था ।

और क्योंकि माननीय उच्च अदालत, दिल्ली ने दिनांक 4-2-2011 में एक सिविल याचिका संख्या 693/2011 व सी. एम. नं. 1473/11 व 1474/11 बलविंदर सिंह व अन्य बनाम पुलिस आयुक्त व अन्य में एक ऑर्डर पास किया जिससे माननीय अदालत ने डी.सी.पी. यातायात के फैसले को सही बताया कि उपरोक्त टैक्सी स्टैंड को अधिसूचित कराने के लिए तथ्यों को छुपाया गया । अपने इस आदेश में माननीय अदालत ने वर्णन किया कि :—

> उपरोक्त तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता को उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड से अलग कर देना चाहिए लेकिन सामान्य टैक्सी स्टैंड को आगे जारी रखना चाहिए यह एक अलग बात है। सम्बन्धित नोटिफिकेशनों में किसी भी दोनों सामान्य टैक्सी स्टैंड पर किसी टैक्सी ड्राइवर का नाम नहीं है और न ही कोई ऐसा कारण है कि सामान्य टैक्सी स्टैंड किसी व्यक्ति विशेष के नाम से अधिसूचित किया गया हो । यह केवल पांच टैक्सियों को खड़ा करने व ले जाने के लिए स्वीकृत सामान्य टैक्सी स्टैंड है । न्यायालय ने अपने एक आदेश दिनांक 27-1-2011 सिविल याचिका नं. 7057/09 सामान्य टैक्सी स्टैंड बनाम सहायक अभियंता सी. पी. डब्ल्यू. डी. में कहा कि सामान्य टैक्सी स्टैंड को सिर्फ कुछ टैक्सी ड्राइवरों की गलती के कारण बंद नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि टैक्सी ड्राइवरों ने उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड को नोटिफाई कराने के लिए तथ्यों को छुपाया था, क्योंकि सामान्य टैक्सी स्टैंड एरिया में सेवाएं प्रदान करता है ।

अपने उपरोक्त आदेश में कोर्ट ने आगे वर्णन किया कि :—

उपरोक्त हालातों में न्यायालय यह विचार करती है कि डी.सी.पी. उपरोक्त आर्डर के तहत ऐसा आर्डर पास करेगा कि न तो सुरेश चन्द्र न ही यादव सिंह रावत या कोई अन्य टैक्सी चालक का उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड पर कोई अधिकार नहीं होगा। डी.सी.पी. एल. एंड डी.ओ. को सामान्य टैक्सी स्टैंड के आस पास अतिक्रमण हटाने के लिए सहयोग करे। डी.सी.पी. आज से ठीक तीन महीने तक डीनोटिफिकेशन के लिये कोई भी आर्डर पास नहीं करेगा। इस अवधि के दौरान डी.सी.पी., एल. एंड. डी.ओ. से बात करके सामान्य टैक्सी स्टैंड के लिए सही पार्किंग स्पेस निर्धारण करने के लिए असरदार व आवश्यक कदम उठायेगा। एल. एंड डी.ओ. सामान्य टैक्सी स्टैंड में लगे टेलीफोनों का चार्ज अपने हाथों में लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सामान्य टैक्सी स्टैंड को सिर्फ टेलीफोन काल प्राप्त करने की सुविधा हो न कि टेलीफोन काल करने की। इस काम के लिए एम. टी. एन. एल. टेलिफोन के बिल एल. एंड डी.ओ. के नाम से रेज करेंगे। वहां किसी भी प्रकार से न तो टैक्सी ड्राइवर और न ही किसी ड्राइवरों के समूह का टेलिफोन और टेलिफोन बूथ पर कब्जा होगा। सामान्य टैक्सी स्टैंड का इस्तेमाल उपरोक्त हिदायतों के अनुसार डी.सी.पी. ट्रैफिक के कार्यालय द्वारा निगरानी के साथ, विनियमित किया जाएगा।

आगे यह आदेश दिया जाता है कि अगले तीन महीनों तक डी.सी.पी. ट्रैफिक इलाके के लोगों से मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि क्या बदलते हालातों में, उपरोक्त टैक्सी स्टैंडों को आगे रखने की जरूरत है। इसके बाद ही डी.सी.पी. ट्रैफिक हालात को देखते हुए, नियमानुसार उपयुक्त आदेश पास करेंगे।

और क्योंकि माननीय अदालत ने 27-1-2011 में दिये गये आदेशों का हवाला दिया कि याचिकाकर्ता को उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड पर कोई भी अधिकार नहीं होगा और क्योंकि माननीय अदालत में उपरोक्त सिविल याचिका को डिसपोस-ऑफ किया और उपायुक्त यातायात के आदेश 4-1-2011 को सही ठहराया इस हद तक कि याचिकाकर्ता को उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड से अलग किया जाता है एवं दिनांक 27-1-2011 के आदेशानुसार अगले तीन महीनों तक डी.सी.पी. ट्रैफिक इलाके के लोगों से मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त टैक्सी स्टैंड को आम जनता के हित में जारी रखा जाए या नहीं।

और क्योंकि उपायुक्त यातायात उत्तरी रेंज ने स्थानीय लोगों/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन से मीटिंग करके संपर्क किया जिसमें यह पता चला कि सभी लोग उपरोक्त ट्रैक्सी स्टैंड को आम जनता के हित में जारी रखना चाहते हैं इसलिए उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड को आगे जारी रखा जाता है।

क्योंकि उपरोक्त हिदायतों के अनुसार अब जरूरी है कि उपरोक्त सामान्य ट्रैक्सी स्टैंड की अधिसूचनाओं को आम जनता के हित में संशोधित किया जाए।

अब मैं, शरत सिन्हा पुलिस उपायुक्त यातायात मुख्यालय, दिल्ली, दिल्ली में सड़कों तथा गलियों पर वाहन एवं अन्य यातायात नियंत्रण अधिनियम, 1980 की धारा 3 तीन का प्रयोग करते हुए जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त हैं उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड की अधिसूचना को यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर आम जनता के हित में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करने का आदेश देता हूँ।

क. न तो बलविंदर सिंह या कोई दूसरा ट्रैक्सी ड्राइवर का उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड पर कोई अधिकार नहीं होगा। क्योंकि टैक्सी स्टैंड किसी व्यक्ति विशेष के नाम से अधिसूचित नहीं किया जाता।

ख. उपरोक्त स्टैण्ड प्रशांत विहार सामुदायिक केन्द्र, हैदरपुर रेसीडेंशल स्कीम जोन नं. एच.-7 दिल्ली अब हाल्ट एण्ड गो के नाम से जाना जाएगा।

ग. बलविंदर सिंह को उपरोक्त टैक्सी स्टैंड से अलग रखा जाता है और वह स्टैंड का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा।

घ. ट्रैक्सियों को खड़ा करने व ले जाने के स्थान पर कोई स्थायी/अस्थायी निर्माण ही किया जाएगा और अधिसूचना करने वाले अधिकारी ने यातायात के मद्देनजर, जन शिकायतों, सुरक्षा, दुर्व्यवहार के कारणों से, आम जनता के हित में उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड (हाल्ट एण्ड गो) की अधिसूचना को निरस्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मेरे द्वारा कार्यालय की मुहर के साथ दिनांक 22-7-2011 को जारी किया गया।

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

(Office of the Dy. Commissioner of Police Traffic : HQ : Delhi)

ORDERS

Delhi, the 22nd July, 2011

F. No. 20/4/2003/HP-II/4069.—Whereas a General Taxi Stand, for halting and parking of taxis "at Prashant Vihar, Community Centre (at Haiderpur Residential Scheme, Zone No. H- 7) Delhi" notified temporarily, was de-notified *vide* No. 30-130/And. Branch/T (DA-III) dated 4-1-2011, in public interest.

And whereas the Hon'ble High Court of Delhi had passed an Order on 4-2-2011 in Writ Petition (Civil) No. 693/2011 CM Appls. 1473/11 and 1474/11 Balvinder Singh & Ors. Vs. C.P. Delhi & Ors. wherein the Hon'ble Court was pleased to satisfy the action taken by DCP/Traffic (in public interest) in coming to the conclusion that there had been a suppression of material facts leading to the notification of the subject GTS at CU Block, DDA Market, Uttari Pitampura, New Delhi. And whereas the relevant portion of the said order reproduces, as under :—

"while it can be understood that on account of the above facts, the petitioners should be disassociated from the GTS in question, the issue of continuing a functioning GTS for the area is different one. A perusal of the order notifying the GTS shows that it does not mention the name of any taxi driver at all. It merely states that at a particular earmarked site, a GTS is being permitted for parking five DLT taxis. This court has in an order dated 27th January, 2011 in General Taxi Stand Vs. The Asstt. Engineer, CPWD [Writ Petition (Civil) No. 7057/2009] explained that a GTS need not be closed down only because certain taxi drivers have misused it. Likewise, merely because a GTS has been notified on an application by certain taxi drivers by suppressing material facts, the GTS itself need not be rendered dysfunctional. It has already been explained by the Court in the aforementioned order dated 27-1-2011 that there should not be an automatic closing down of a GTS because it serves the interest of the residents of that area".

And whereas the Hon'ble Court has further explained the relevant portion of the order dated 27th January, 2011, which is as below:—

"In the above circumstances, this Court considers it appropriate to direct that the DCP (Traffic) should, in terms of the present order, pass the consequential order to the effect that neither Suresh Chand nor Yadav Singh Rawat or any other individual taxi driver will have any right to the exclusive use of the respective GTS. The DCP (Traffic) will extend all cooperation to the L&DO to forthwith ensure removal of all encroachment in and around the two GTSs. The DCP (Traffic) will not pass any final order on denotifying either GTS in question for a period of three months from today. During this period, the DCP (Traffic) will take effective steps in consultation with the L&DO to clearly mark out the exact parking space for the five taxis in respect of each of the GTS. The L&DO will take charge of the telephone attached to each of the GTSs and make sure that it only has the facility of receiving calls and not outgoing calls. Hereafter, the bills of the telephone will be raised by the MTNL in the name of the L&DO and will be paid by the L&DO. There will be no exclusive possession of the telephone or the telephone booth by any individual taxi driver or a group of them. The use of the GTSs will be regulated in the above terms with constant monitoring by the office of the DCP (Traffic). It is further directed that within the next three months, the DCP/ Traffic will ascertain from the resident of the locality if, in view of the changed circumstances brought out by this order, the two GTSs would be continued. There after, it will be open to the DCP (Traffic) to review the situation and pass appropriate orders in accordance with law".

And whereas in terms of the above order dated 27th January, 2011, the Hon'ble Court has further ordered that:—

"while the petitioners will have no exclusive right whatsoever to use the GTSs in question, the DCP/Traffic will re-examine the question whether the two GTSs in question should be continued with the restrictions and precautions, as contained in the original orders notifying them being strictly enforced. This court finds that the notification dated 15th June, 1998 issued by the DCP/Traffic already prescribes certain safeguards".

And whereas the Hon'ble Court has disposed of the afore said writ petition by upholding the impugned order dated 4th January, 2011 passed by the DCP/Traffic to the extent that:—

"it dissociates the Petitioners from the two GTSs at CU Block, Uttari Pitampura, Delhi and the Prashant Vihar Community Centre at Haiderpur Residential Scheme, Zone No. 17, Delhi. However, in terms of the order dated 27th January, 2011 passed by the Hon'ble Court, in Writ Petition No. 7057/2009, the DCP/Traffic will continue the two GTSs in question for the further period of three months on the above terms within which time the local resident of the area will be consulted and a view taken on whether to continue the GTSs in question".

And whereas Deputy Commissioner of Police/Traffic-NR held a meeting on 4-2-2011 which was attended by the representatives of various RWAs of Pitampura & Prashant Vihar. And whereas all the representatives of RWAs wanted to have/continue the subject taxi stand in the area as they felt that the subject GTS was doing service to the old couples and others and especially during requirement of vehicles at odd hours and whereas the subject GTS is required to be continued in larger public interest with certain modification. Now, therefore, I, Sharat Sinha, Dy. Commissioner of Police/Traffic (HQ) Delhi in exercise of powers conferred upon me u/s. 3 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Road and Street Regulation, 1980 do hereby order that:—

a. Neither Balvinder Singh or any other individual taxi driver would have any right to the exclusive use of the subject General Taxi Stand, as the taxi stands are not notified in the name of any individual.

b. Henceforth, the above-mentioned site of General Taxi Stand located at Prashant Vihar, Community Centre (at Haiderpur Residential Scheme, Zone No. H-7) Delhi, would be known as "Halt & Go Place" for taxis for the convenience of public, as per policy.

c. Balvinder Singh son of Shri Mehar Singh r/o. EU-38B, Pitampura, Delhi-110088 is dissociate to use the subject GTS in any manner.

d. That the aforesaid "Halt and Go place for taxis" would not be owned by any individual or authority and is notified on temporary basis. The notifying authority reserves the right to cancel the aforesaid notification subsequently in public interest for reason of traffic regulation, requirement of security, local complaints, refusal, misbehavior, overcharging, or any subsequent objection raised by the land owning agency. CPWD/MCD/NDMC/DDA/ L&DO etc. shall not confer any tehbazari rights for the site to any individual. No pucca/semi pucca structure, water, electricity, and telephone connection shall be allowed on the site aforesaid 'Halt & Go Place' for taxis.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of office on the 22 day of July, 2011.

सं. फा. 20/4/2003/गृह पु.-II/4068.—क्योंकि आम जनता की सुविधा के लिये टैक्सियों को खड़ा करने व ले जाने के लिए सामान्य टैक्सी स्टैंड/ फ्री टैक्सी पार्किंग जो कि सी. यू. ब्लाक, डी. डी. ए. मार्किट उत्तरी पीतमपुरा, नई दिल्ली पर अस्थायी तौर पर अधिसूचित किया गया था को आदेश संख्या 30-130/प्रशासनिक शाखा/यातायात (डी. तृतीय) दिनांक 4-1-2011 को आम जनता के हित में निरस्त किया गया था ।

और क्योंकि माननीय उच्च अदालत, दिल्ली ने दिनांक 4-2-2011 में एक सिविल याचिका संख्या 693/2011 व सी. एम. नं. 1473/11 व 1474/11 बलविंदर सिंह व अन्य बनाम पुलिस आयुक्त व अन्य में एक ऑर्डर पास किया जिससे माननीय अदालत ने डी.सी.पी. यातायात के फैसले को सही बताया की उपरोक्त टैक्सी स्टैंड को अधिसूचित कराने के लिए तथ्यों को छुपाया गया । अपने इस आदेश में माननीय अदालत ने वर्णन किया कि:-

> उपरोक्त तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता को उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड से अलग कर देना चाहिए लेकिन सामान्य टैक्सी स्टैंड को आगे जारी रखना चाहिए यह एक अलग बात है। सम्बन्धित नोटिफिकेशनों में किसी भी दोनों सामान्य टैक्सी स्टैंड पर किसी ट्रैक्सी ड्राइवर का नाम नहीं है और न ही कोई ऐसा कारण है कि सामान्य टैक्सी स्टैंड किसी व्यक्ति विशेष के नाम से अधिसूचित किया गया हो । यह केवल पांच टैक्सियों को खड़ा करने व ले जाने के लिए स्वीकृत सामान्य टैक्सी स्टैंड है। न्यायालय ने अपने एक आदेश दिनांक 27-1-2011 सिविल याचिका न. 7057/09 समान्य टैक्सी स्टैंड बनाम सहायक अभियंता सी. पी. डब्ल्यू. डी. में कहा कि सामान्य टैक्सी स्टैंड को सिर्फ कुछ ट्रैक्सी ड्राइवरों की गलती के कारण बंद नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि टैक्सी ड्राइवरों ने उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड को नोटिफाई कराने के लिए तथ्यों को छुपाया था, क्योंकि सामान्य टैक्सी स्टैंड एरिया में सेवाएं प्रदान करता है ।

अपने उपरोक्त आदेश में कोर्ट ने आगे वर्णन किया कि :-

> उपरोक्त हालातों में न्यायालय यह विचार करती है कि डी. सी. पी उपरोक्त आर्डर के तहत ऐसा आर्डर पास करेगा कि न तो सुरेश चन्द्र न ही यादव सिंह रावत या कोई अन्य टैक्सी चालक का उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड पर कोई अधिकार नहीं होगा । डी. सी. पी. एल. एंड डी.ओ. को सामान्य टैक्सी स्टैंड के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए सहयोग करे । डी.सी.पी. आज से ठीक तीन महीने तक डीनोटिफिकेशन के लिये कोई भी आर्डर पास नहीं करेगा । इस अवधि के दौरान डी.सी.पी. एल. एंड डी.ओ. से बात करके सामान्य टैक्सी स्टैंड के लिए सही पार्किंग स्पेस निर्धारण करने के लिए असरदार व आवश्याक कदम उठाएगा । एल. एंड डी.ओ. सामान्य टैक्सी स्टैंड में लगे टेलीफोनों का चार्ज अपने हाथों में लेगा । और यह सुनिश्चित करेगा कि सामान्य टैक्सी स्टैंड को सिर्फ टेलीफोन काल प्राप्त करने की सुविधा हो न कि टेलीफोन काल करने की। इस काम के लिए एम.टी.एन.एल. टेलीफोन के बिल एल. एंड डी.ओ. के नाम से रेज करेंगे । वहां किसी भी प्रकार से न तो टैक्सी ड्राइवर और न ही किसी ड्राइवरों के समूह का टेलीफोन और टेलीफोन बूथ पर कब्जा होगा । सामान्य टैक्सी स्टैंड का इस्तेमाल उपरोक्त हिदायतों के अनुसार डी.सी.पी. ट्रैफिक के कार्यालय द्वारा निगरानी के साथ, विनियमित किया जाएगा ।

आगे यह आदेश दिया जाता है कि अगले तीन महीनों तक डी . सी. पी. ट्रैफिक इलाके के लोगों से मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि क्या बदलते हालातों में, उपरोक्त टैक्सी स्टैंड को आगे रखने की जरूरत है । इसके बाद ही डी.सी.पी. ट्रैफिक हालात को देखते हुए, नियमानुसर उपयुक्त आदेश पास करेंगे ।

और क्योंकि माननीय अदालत ने 27-1-2011 मे दिये गये आदेशों का हवाला दिया कि याचिकाकर्ता का उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड पर कोई भी अधिकार नहीं होगा और क्योंकि माननीय अदालत में उपरोक्त सिविल याचिका को डिसपोस ऑफ किया और उपायुक्त यातायात के आदेश 4-1-2011 को सही ठहराया इस हद तक कि याचिकाकर्ता को उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड से अलग किया जाता है एवं दिनांक 27-1-2011 के आदेशानुसार अगले तीन महीनों तक डी.सी.पी. ट्रैफिक इलाके के लोगों से मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त टैक्सी स्टैंड को आम जनता के हित में जारी रखा जाए या नहीं ।

और क्योंकि उपायुक्त यातायात उत्तरी रेंज ने स्थानीय लोगों/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन से मीटिंग करके संपर्क किया जिसमें यह पता चला कि सभी लोग उपरोक्त टैक्सी स्टैंड को आम जनता के हित में जारी रखना चाहते है इसलिए उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड को आगे जारी रखा जाता है ।

क्योंकि उपरोक्त हिदायतों के अनुसार अब जरूरी है कि उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड की अधिसूचनाओं को आम जनता के हित में संशोधित किया जाए ।

अब, मैं, शरत सिन्हा, उपायुक्त पुलिस, यातायात मुख्यालय दिल्ली, दिल्ली में सड़कों तथा गलियों पर वाहन एवं अन्य यातायात नियंत्रण अधिनियम, 1980 की धारा (3) का प्रयोग करते हुए जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड की अधिसूचना को यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर आम जनता के हित में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करने का आदेश देता हूँ :

क. न तो बलविंदर सिंह या कोई दूसरा टैक्सी ड्राइवर का उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड पर कोई अधिकार नहीं होगा क्योंकि टैक्सी स्टैंड किसी व्यक्ति विशेष के नाम से अधिसूचित नहीं किया जाता ।

ख. उपरोक्त स्टैण्ड सी. यू. ब्लाक, डी.डी.ए. मार्किट, उत्तरी पीतमपुरा, नई दिल्ली अब हाल्ट एण्ड गो के नाम से जाना जाएगा ।

ग. बलविंदर सिंह पुत्र मेहर सिंह, भगत सिंह पुत्र साहिब सिंह और बुरमेल सिंह पुत्र भगत सिंह (सभी याचिकाकर्त्ता) को उपरोक्त टैक्सी स्टैंड से अलग रखा जाता है और वह स्टैंड का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा ।

घ. टैक्सियों को खड़ा करने व ले जाने के स्थान पर कोई स्थाई/अस्थाई निर्माण नहीं किया जाएगा और अधिसूचना करने वाले अधिकारी ने यातायात के मद्देनजर जन शिकायतों, सुरक्षा दुर्व्यवहार के कारणों से, आम जनता के हित में उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड(हाल्ट एण्ड गो) की अधिसूचना को निरस्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा है ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

मेरे द्वारा कार्यालय की मुहर के साथ दिनांक 22-7-2011 को जारी किया गया ।

शरत सिन्हा, उपायुक्त पुलिस

No. F. 20/4/2003/HP-II/4068.— Whereas a General Taxi Stand for halting and parking of taxis "at CU Block DDA Market, Uttari Pitampura, New Delhi " notified temporarily, was de-notified vide no. 30-130/And. Branch/T (DA-III) dated 4-1-2011, in public interest.

And whereas the Hon'ble High Court of Delhi had passed an order on 4-2-2011 in Writ Petition (Civil) no. 693/2011 CM Appls. 1473/11 and 1474/11 Balvinder Sing & Ors. Vs. C.P. Delhi & Ors. wherein the Hon'ble Court was pleased to satisfy the action taken by DCP/Traffic (in public interest) in coming to the conclusion that there had been a suppression of material facts leading to the notifcation of the subject GTS at CU Block, DDA market, Uttari Pitampura, New Delhi. And whereas the relevant portion of the said order reproduces as under :—

"while it can be understood that on account of the above facts, the petitioners should be disassociated from the GTS in question, the issue of continuing a functioning GTS for the area is different one. A perusal of the order notifying the GTS shows that it does not mention the name of any taxi driver at all. It merely states that at a particular earmarked site, a GTS is being permitted for parking five DLT taxis. This court has in an order dated 27th January, 2011 in General Taxi Stand Vs. The Asstt. Engineer, CPWD (Writ Petition) (Civil) No. 7057/2009) explained that a GTS need not be closed down only because certain taxi drivers have misused it. Likewise merely because a GTS has been notified on an application by certain taxi drivers by suppressing material facts, the GTS itself need not be rendered dysfunctional. It has already been explained by the Court in the aforementioned order dated 27-1-2011 that there should not be an automatic closing down of a GTS becasuse it serves the interest of the residents of that area".

And whereas the Hon'ble Court has further explained the relevant portion of the order dated 27th January 2011, which is as below :—

"In the above circumstances, this Court considers it appropriate to direct that the DCP (Traffic) should, in terms of the present order, pass the consequential order to the effect that neither Suresh Chand nor Yadav Singh Rawat or any other individual taxi driver will have any right to the exclusive use of the respective GTS. The DCP (Traffic) will extend all cooperation to the L&DO to forthwith ensure removal of all encroachment in and around the two GTSs. DCP (Traffic) will not pass any final order on denotifiying either GTS in question for a period of three months from

today. During this period, the DCP (Traffic) will take effective steps in consultation with the L&DO to clearly mark out the exact parking space for the five taxis in respect of each of the GTS. The L&DO will take charge of the telephone attached to each of the GTSs and make sure that it only has the facility of receiving calls and not outgoing calls. Hereafter the bills of the telephone will be raised by the MTNL in the name of the L&DO, and will be paid by the L&DO. There will be no exclusive possession of the telephone or the telephone booth by any individual taxi driver or a group of them. The use of the GTSs will be regulated in the above terms with constant monitoring by the office of the DCP (Traffic). It is further directed that within the next six months, the DCP/Traffic will ascertain from the resident of the locality if, in view of the changed circumstances brought out by this order, the two GTSs would be continued. Thereafter, it will be open to the DCP (Traffic) to review the situation and pass appropriate orders in accordance with law".

And whereas in terms of the above order dated 27th January, 2011, the Hon'ble Court has further ordered that:—

"while the petitioners will have no exclusive right whatsoever to use the GTSs in question, the DCP/Traffic will re-examine the question whether the two GTSs in question should be continued with the restrictions and precautions as contained in the original orders notifying them being strictly enforced. This court finds the notification dated 15th June, 1998 issued by the DCP/Traffic already prescribes certain safeguards".

And whereas the Hon'ble Court has disposed of the aforesaid. Writ petition by upholding the impugned order dated 4th January, 2011 passed by the DCP/Traffic to the extent that:—

"it dissociates the Petitioners from the two GTSs at C U Block, Uttari Pitampura, Delhi and the Prashant Vihar Community Centre at Haiderpur Residential Scheme, Zone No. 17, Delhi. However, in terms of the order dated 27th January, 2011 passed by the Hon'ble Court in Writ Petition No. 7057/2009, the DCP/Traffic will continue the two GTSs in question for the further period of three months on the above terms within which time the local resident of the area will be consulted and a view taken on whether to continue the GTSs in question".

And whereas Deputy Commissioner of Police/Traffic-NR held a meeting on 4-2-2011 which was attended by the representatives of variuos RWAs of Pitampura & Parshant Vihar. And whereas all the representatives of RWAs wanted to have/continue the subject taxi stand in the area as they felt that the subject GTS was doing service to the old couples and others and especially during requirement of vehicles at odd hours and whereas the subject GTS is required to be continued in larger public interest with certain modification.

Now, therefore, I Sharat Sinha, Dy. Commissioner of Police/Traffic (HQ) Delhi in exercise of powers conferred upon me u/s. 3 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Road and Street Regulation, 1980 do hereby order that :—

a. Neither Balvinder Singh or any other individual taxi driver would have any right to the exclusive use of the subject General Taxi Stand, as the taxi stands are not notified in the name of any individual.

b. Henceforth, the above-mentioned site of General Taxi Stand located "at CU Block, DDA Market, Uttari Pitampura, New Delhi" would be known as "Halt & Go Place" for taxis for the convenience of public, as per policy.

c. Balvinder Singh S/o Shri Mehar Singh, Bhagat Singh S/o Sahib Singh &Gurmail Singh S/o Bhagat Singh are dissociate to use the subject GTS in any manner.

d. That the aforesaid Halt and Go place for taxis would not be owned by any individual or authority and is notified on temporary basis. The notifying authority reserves the right to cancel the aforesaid notification subsequently in public interest for reason of traffic regulation, requirement of security, local complaints, refusal, misbehaviour, overcharging or any subsequent objection raised by the land owning agency. CPWD/ MCD/NDMC/DDA/ L&DO etc. shall not confer any tehbazari rights for the site to any indivudual. No pucca/semi-pucca structure, water, electricity, and telephone connection shall be allowed on the site aforesaid 'Halt & Go Place' for taxis.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of office on 22-7-2011.

SHARAT SINHA, Dy. Commissioner of Police

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जुलाई, 2011

सं. फा. 82(265)/एडी-III /संशोधन अधिनियम पीडब्ल्यूडी/स.कल्या.वि./09/5879-5901.– दिनांक 31 मई, 2011 की अधिसूचना सं. फा. 82(265)/एडी-III/संशोधन अधिनियम पीडब्ल्यूडी/स.कल्या.वि./09/3187-3205 के क्रम में तथा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर,अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के उप-खण्ड (त) के उपबन्धों के अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल द्वारा नि:शक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 2 के उपखण्ड (त) में जिलेवार तीन और अस्पतालों को जोड़ने की मंजूरी दी जाती है, निम्न तालिका के कॉलम 2 में यथावर्णित नि:शक्तता के प्रकार के लिए तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित अस्पताल/संस्थान को चिकित्सा प्राधिकरण के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं, और इसके आगे निदेश देते हैं कि कॉलम 4 में यथावर्णित अस्पताल/संस्थान के चिकित्सा अधिकारी प्राधिकरण की ओर से नि:शक्तता प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत होंगे ।

क्र.	नि:शक्तता का	कालम 2 में उल्लिखित	कालम 3 में वर्णित अस्पताल/
संख्या	प्रकार	नि:शक्तता के प्रयोजन के लिये चिकित्सा प्राधिकरण के रूप में विनिर्दिष्ट किए जा रहे अस्पताल/संस्थान	संस्थान में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी, जो नि:शक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केवल अंगच्छेद (1) अंगो के पूर्ण स्थाई पक्षाघात (2) अन्धता	**उत्तर पूर्व जिला** जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल, शास्त्री पार्क **पूर्वी जिला** डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान, कड़कड़डूमा **उत्तर पश्चिम जिला,** संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी	संबद्ध विशेषज्ञता का एक विशेषज्ञ डॉक्टर
2.	हड्डी रोग, आंख एवं नाक-कान-गला से संबंधित बहु-नि:शकतता	**उत्तर पूर्व जिला** जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल, शास्त्री पार्क **पूर्वी जिला** डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान, कड़कड़डूमा, **उत्तर पश्चिम जिला,** संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी	सबद्ध नि:शक्तता से संबंधित विशेषज्ञ डाक्टरों का बहु सदस्यीय बोर्ड

टिप्पण : यदि सम्बद्ध विशेषज्ञता का कोई पदनामित चिकित्सक छुट्टी पर है या उपस्थित नहीं है जिसे नि:शक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, तो सम्बंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, जो यथासंशोधित नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 2011 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नि:शक्तता प्रमाण-पत्र के जारी करने को सुनिश्चित करेंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,

राजेश सोमाल, निदेशक

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd July, 2011

F. No. 82(265)/AD-III/Amendment PWD Act/DSW/09/5879-5901.—In continuation of earlier Notification No. F. 82(265)/AD-III.Amendment PWD Act/DSW/09/3187-3205, dated the:—31-5-2011 and in pursuance of the provisions of clause (p) of Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), the Lt. Governor of NCT of Delhi is hereby pleased to include three more hospitals district wise, for the purpose of issue of certificates of disability as mentioned in clause (i) of Section 2, of the said Act, the hospitals and institutions mentioned in Columan 3 of the Table given below, as 'medical authorities' for the type for disability mentioned in column 2 thereof, and further directs that the Medical Officers of the hospital/institution as mentioned in column 4 shall be authorized to sign the disability certificate on behalf of the medical authority.

Sr. No.	Types of disability	Hospital/Institution which is being specified as the "Medical Authority" for the purpose of the disability mentioned in column No. 2	Medical offiers working in the Hospital/ Institution mentioned in column No. 3 who would be competent to issue certificate of disability
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(i) Locomotor disability by way only of amputation, complete permanent paralysis of limbs.	**Distt. North East** Jag Pravesh Chandra Hospital, Shastri Park **Distt. East**	Single/specialist doctor of the concerned speciality.
	(ii) Blindness	Dr. Hedgewar Arogya Sansthan, Karkardooma **Distt. North West** Sanjay Gandhi Memorial Hospital, Mangolpuri	
2.	Multiple disabilities relating to Orthopedics, Medicine, Eye and ENT	**Distt. North East** Jag Pravesh Chandra Hospital, Shastri Park **Distt. East,** Dr. Hedgewar Arogya Sansthan, Karkardooma **Distt. North West** Sanjay Gandhi Memorial Hospital, Mangolpuri	Multi Member Board comprising specialist doctors pertaining to the concerned disabilities.

Note:— If a designated doctor of concerned specialist who has been authorized to issue disability certificate is on leave or is not present, a suitable alternative arrangement will be made by the Medical Superintendent of the concerned hospital, who will ensure the issuance of disability certificate within the time period specified in rule 4 of Delhi Persons with Disabilites (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 as amended, time to time.

By Order and in the name of the
Lt. Governor of Delhi,

RAJESH SOMAAL, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.